डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88/53 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 363/2016

कर्मजीत कौर पत्नी जगदेव सिंह पुत्री निरंजन सिंह जाति रामदासिया, निवारी हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज.

.... वादी

बनाम

1. करनैल सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति रामदासिया निवासी हनुमानगढ़ (फौत)

1/1 परमजीत कौर पत्नी मुख्तयार सिंह पत्नी निरंजन सिंह जाति रामदासिया निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0।

1/2 गुरदीप कौर पत्नी सिंगारा सिह पुत्री निरंजन सिंह जाति रामदासिया निवासी बन्डी तहसील व जिला बठिण्ड़ा, पंजाब।

2. बलवन्त सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0।

3. महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति रामदासिया निवासी स्पिनिंग मील वाला शिव मंदिर के नजदीक वार्ड नं0 12 सुरतगढ़ फाटक के पास, हनुमानगढ़ जं0।

4. तेज कौर पत्नी नक्षत्र सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़।

5. अमृतपाल पुत्र नक्षत्र सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़।

6. मिता कौर पत्नी बलदेव सिंह पुत्री नक्षत्र सिंह जाति रामदासिया निवासी बड़ागुड़ा तहसील सिरसा, हरियाणा।

7. वीरपाल कौर पत्नी दर्शन सिंह पुत्री नक्षत्र सिंह जाति रामदासिया निवासी मोहल्ला तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

8. सर्वजीत कौर पत्नी पाला सिंह पुत्री नक्षत्र सिंह जाति रामदासिया निवासी तलोकेवाला तहसील कालावाली जिला सिरसा, हरियाणा।

.... प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुशील कुमार वकील वादी व श्री सुभाष सैन व अनिल शर्मा वकील प्रतिवादी सं. 02 ता 08 की उपरिथति में यह डिक्री दी जाती है कि वाद पत्र वादीगण डिक्री किया जाता है कि वादी बहक प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। चक 2 एन.टी.डब्ल्यू–ए के खाता सं0 5/8 खाता करनैल में करनैल सिंह जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के नाम 0.506 हैक्टर व चक 23 एल.एल.डब्ल्यू के खाता सं0 40/31 जमाबंदी सम्वत् 2074–77 में करनैल सिंह वल्द पूर्ण सिंह के नाम 1.097 हैक्टर कृषि भूमि के प्रतिवादी सं0 02 बलवन्त सिंह पुत्र करनैल सिंह को 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 03 महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 04 ता 08 तेजकौर पत्नी नक्षत्र सिंह, अमृतपाल पुत्र नक्षत्र सिंह, मिता कौर पत्नी बलदेव सिहं पुत्री नक्षत्र सिंह, वीरपाल कौर पत्नी दर्शन सिंह पुत्री नक्ष

29/8
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सिंह, सर्वजीत कौर पत्नी पालासिंह पुत्री नक्षत्र सिंह को 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर व वादीया कर्मजीत कौर व प्रतिवादी सं0 1/1 परमजीत कौर व 1/2 गुरदीप कौर को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रिकोर्ड में इनका नाम दर्ज किया जावे व करनैल सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :– अराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज .... निल .... मुबलिक .... निल.... बाबत .... निल.... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29/08/2022 को जारी किया गया।

29/8/22

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी,

संगरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:– रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 363/2016
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:– 88/53 आरटीए

कर्मजीत कौर पत्नी जगदेव सिंह पुत्री निरंजन सिंह जाति रामदासिया, निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज.

.... वादी

बनाम

1 करनैल सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति रामदासिया निवासी हनुमानगढ़ (फौत)

1/1 परमजीत कौर पत्नी मुख्तयार सिंह पत्नी निरंजन सिंह जाति रामदासिया निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0।

1/2 गुरदीप कौर पत्नी सिंगारा सिह पुत्री निरंजन सिंह जाति रामदासिया निवासी बन्डी तहसील व जिला बठिण्डा, पंजाब।

2. बलवन्त सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0।

3. महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति रामदासिया निवासी स्पिनिंग मील वाला शिव मंदिर के नजदीक वार्ड नं0 12 सुरतगढ़ फाटक के पास, हनुमानगढ़ जं0।

4. तेज कौर पत्नी नक्षत्र सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़।

5. अमृतपाल पुत्र नक्षत्र सिंह जाति रामदासिया निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़।

6. मिता कौर पत्नी बलदेव सिंह पुत्री नक्षत्र सिंह जाति रामदासिया निवासी बड़ागुड़ा तहसील सिरसा, हरियाणा।

7. वीरपाल कौर पत्नी दर्शन सिंह पुत्री नक्षत्र सिंह जाति रामदासिया निवासी मोहल्ला तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

8. सर्वजीत कौर पत्नी पाला सिंह पुत्री नक्षत्र सिंह जाति रामदासिया निवासी तलोकेवाला तहसील कालावाली जिला सिरसा, हरियाणा।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

1. श्री सुशील कुमार अधिवक्ता – वादी की ओर से
2. श्री सुभाष सैन अधिवक्ता – प्रतिवादी सं. 2, 3, 5, 6, व 7 की ओर से
3. श्री अनिल शर्मा अधिवक्ता– प्रतिवादी सं. 4 व 8

निर्णय दिनांक 29-08-2022

1. वादी कर्मजीत कौर पत्नी जगदेव सिंह द्वारा प्रस्तुत यह वाद माननीय अपर जिला न्यायाधीश संगरिया जिला हनुमानगढ़ द्वारा मूल दीवानी प्रकरण सं0 30/2008 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 की पालना में कृषि भूमि से सम्बंधित मामलों की सूनवाई का क्षेत्राधिकार न होने के कारण वाद इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ भिजवाया

29/8
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

कृपा कि वाद पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि के विभाजन हेतु विधि अनुसार निस्तारण हेतु उपखण्ड अधिकारी, संगरिया को भेजा जावे। माननीय अपर जिला न्यायाधीश, संगरिया द्वारा इस वाद को अपने आदेश से प्रति प्रेषित करने पर दिनांक 27.10.2016 को यह पत्रावली पेशी में ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया और वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुशील कुमार व प्रतिवादी सं0 4 व 8 की ओर से श्री अनिल शर्मा उपस्थित होने पर शेष प्रतिवादीगण की तामिल करवाई गई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया कर्मजीत कौर द्वारा यह वाद प्रतिवादी सं0 1 करनैल सिंह के नाम चक 23 एल.एल.डब्ल्यू पटवार हल्का पक्कासहारणा के खाता सं0 26/26 में करनैल सिंह के नाम स्थित 2.108 हैक्टर व चक 2 एन.टी.डब्ल्यू–ए के खाता सं0 7/7 खाता करनैल सिंह में 0.506 हैक्टर कृषि भूमि के सन्दर्भ में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के आदेशानुसार इसी कृषि भूमि के सन्दर्भ में इस न्यायालय को आदेश पारित करना है। प्रतिवादी सं0 1/1 व 1/2 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं आये प्रतिवादी सं0 2, 3, 5, 6, 7 व 8 द्वारा अपना अधिवक्ता नियुक्त कर वकालत नामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं0 4 की ओर से जवाब दावा मय काउंटर कलेम दिनांक 29.07.2021 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 24.01.2022 को अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2, 3, 5, 7 व 8 के अभिभाषक द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करना चाहा। दिनांक 24.02.2022 को प्रतिवादी सं0 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा व काउंटर कलेम का वादी के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहा। दिनांक 28.03.2022 को साक्ष्य वादी में वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादी सं0 4 की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत की गई। अन्य प्रतिवादीगण ने और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहा।

2. यह कि प्रतिवादी सं0 4 द्वारा जवाब दावा मय काउंटर कलेम प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रतिवादी सं0 4 के ससुर करनैल सिंह के 4 पुत्र थे। करनैल सिंह की दिनांक 18.07.2012 को मृत्यु हो गई। करनैल सिंह मृत्यु के बाद करनैल सिंह के 4 पुत्र बलवन्त सिंह, नक्षत्र सिंह, निरंजन सिंह और महेन्द्र सिंह वारिश हुए। नक्षत्र सिंह व निरंजन सिंह की मृत्यु हो गई नक्षत्र सिंह के वारिश पत्नी तेज कौर पुत्र अमृत पाल पुत्री मिता कौर पुत्री वीरपाल कौर पुत्री सर्वजीत कौर, मंजीत कौर वेध व विधिक वारिश है। करनैल सिंह के नाम संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में चक 23 एल.एल.डब्ल्यू पटवार हल्का पक्कासहारणा के खाता सं0 26/26 में 1.097 हैक्टर व चक 2 एन.टी.डब्ल्यू के खाता सं0 7/7 खाता करनैल सिंह में 0.506 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। करनैल सिंह की मृत्यु के बाद उपरोक्त कृषि भूमि पर करनैल सिंह के चारों वारिशों का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी सं0 4 से 8 का उपरोक्त कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा बनता है प्रतिवादीगण इसी अनुरूप

29/8
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

खातेदार काश्तकार घोषित करवा राजस्व रिकॉर्ड में अमल बरामद करवाने के अधिकारी व दावेदार है।

3. यह कि वादी के वाद व प्रतिवादी सं0 4 के काउंटर कलेम का कोई विरोध न होने के कारण प्रकरण में विवादक विरचित नहीं किये गये।

प्रतिवादी सं0 4 की ओर से मौखिक साक्ष्य में तेज कौर का शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादी सं. 01 के नाम की जमाबंदी प्रदर्श–1 व 2 प्रस्तुत की गई और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहा।

बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारन् द्वारा बहस में कथन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 04 द्वारा अपना अपना वाद व काउंटर कलेम प्रस्तुत कर करनैल सिंह की कृषि भूमि में स्वयं का 1/4 हिस्सा होने का कथन करते हुए यह वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा अपना काउंटर कलेम प्रस्तुत कर करनैल सिंह के नाम की कृषि भूमि में करनैल सिंह के 4 लड़कों का प्रत्येक का 1/4 हक व हिस्सा होने का कथन करते हुए शपथ पत्र व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व प्रतिवादी सं0 4 द्वारा प्रस्तुत काउंटर कलेम व प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबंदी प्रदर्श 01 व 02 के अवलोकन से स्पष्ट है कि करनैल सिंह के नाम चक 2 एन.टी.डब्ल्यू–ए के खाता सं0 5/8 खाता करनैल सिंह ने 0.506 हैक्टर तथा चक 23 एल.एल.डब्ल्यू पटवार हल्का पक्कासहारणा के खाता सं0 40/31 जमाबंदी सम्वत 2074–77 में करनैल सिंह वल्द पूर्ण सिंह के नाम 1.097 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण के कथनानुसार करनैल सिंह के 4 पुत्र बलवन्त सिंह, नक्षत्र सिंह, निरंजन सिंह और महेन्द्र सिंह करनैल सिंह के वारिश है। न्यायालय के समक्ष यह एक निर्विवाद स्थिति है कि करनैल सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। करनैल सिंह की मृत्यु होना भी वादी व प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 4 द्वारा प्रस्तुत काउंटर कलेम का किसी ने विरोध नहीं किया है। प्रतिवादी सं. 04 का काउंटर कलेम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वादी व प्रतिवादी सं0 4 के कथनों पर मनन किया व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण सं0 04 द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी कथनों का किसी भी पक्षकार ने विरोध नहीं किया है। प्रतिवादी सं0 04 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का वादी या अन्य प्रतिवादीगण ने कोई खंडन नहीं किया है। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने काउंटर कलेम के अनुसार सभी पक्षकारन् का वाद उसके हक व हिस्सा अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया है जिस कारण किसी भी पक्षकार ने कोई विरोध नहीं किया है। प्रतिवादी सं0 04 के काउंटर कलेम का किसी भी पक्षकार ने विरोध नहीं किया है वादी द्वारा जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है

29/8
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उसका वादी व प्रतिवादीगण की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0 04 अपना काउंटर कलेम साबित करने में पूर्णतय सफल रहा हैं। ऐसी स्थिति में चक 2 एन.टी.डब्ल्यू–ए के खाता सं0 5/8 खाता करनैल में करनैल सिंह जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के नाम 0.506 हैक्टर व चक 23 एल.एल.डब्ल्यू के खाता सं0 40/31 जमाबंदी सम्वत् 2074–77 में करनैल सिंह वल्द पूर्ण सिंह के नाम 1.097 हैक्टर कृषि भूमि के प्रतिवादी सं0 02 बलवन्त सिंह पुत्र करनैल सिंह को 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 03 महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 04 ता 08 तेजकौर पत्नी नक्षत्र सिंह, अमृतपाल पुत्र नक्षत्र सिंह, मिता कौर पत्नी बलदेव सिहं पुत्री नक्षत्र सिंह, वीरपाल कौर पत्नी दर्शन सिंह पुत्री नक्ष सिंह, सर्वजीत कौर पत्नी पालासिंह पुत्री नक्षत्र सिंह को 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर व वादीया कर्मजीत कौर व प्रतिवादी सं0 1/1 परमजीत कौर व 1/2 गुरदीप कौर को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुरूप राजस्व रिकोर्ड में इनका नाम दर्ज किया जाकर करनैल सिंह का नाम कलमजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादी व प्रतिवादी सं0 04 का काउंटर कलेम बहक प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि चक 2 एन.टी.डब्ल्यू–ए के खाता सं0 5/8 खाता करनैल में करनैल सिंह जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के नाम 0.506 हैक्टर व चक 23 एल.एल.डब्ल्यू के खाता सं0 40/31 जमाबंदी सम्वत् 2074–77 में करनैल सिंह वल्द पूर्ण सिंह के नाम 1.097 हैक्टर कृषि भूमि के प्रतिवादी सं0 02 बलवन्त सिंह पुत्र करनैल सिंह को 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 03 महेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 04 ता 08 तेजकौर पत्नी नक्षत्र सिंह, अमृतपाल पुत्र नक्षत्र सिंह, मिता कौर पत्नी बलदेव सिहं पुत्री नक्षत्र सिंह, वीरपाल कौर पत्नी दर्शन सिंह पुत्री नक्ष सिंह, सर्वजीत कौर पत्नी पालासिंह पुत्री नक्षत्र सिंह को 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर व वादीया कर्मजीत कौर व प्रतिवादी सं0 1/1 परमजीत कौर व 1/2 गुरदीप कौर को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रिकोर्ड में इनका नाम दर्ज कर करनैल सिंह का नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

29/8/22

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया